गेल (इंडिया) लिमिटेड
गेल भवन, 16, भीकाएजी कामा प्लेस,
आर. के . पुरम, नई दिल्ली - 110 066
फोन: 011-26172580; ईमेल - career@gail.co.in
निगमित पहचान संख्या: L40200DL1984GOI018976

ई-5 ग्रेड में विभिन्न विभागों में करियर के अवसर

गेल (इंडिया) लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न तथा भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है जो कि प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला (अन्वेषण एवं उत्पादन, प्रोसेसिंग, संचरण, वितरण एवं विपणन सहित) के समस्त पहलुओं तथा इससे संबंधित सेवाओं को एकीकृत कर रही है। गेल तेज़ी से बदलते व्यापारिक परिवेश में हरित ऊर्जा गलियारों का चतुर्भुज बनाकर स्वच्छ ईंधन औद्योगीकरण के नए युग का सूत्रपात कर रहा है जो भारत के बड़े उपभोक्ता केंद्रों को प्रमुख गैस क्षेत्रों, एलएनजी टर्मिनलों तथा सीमा पार के अन्य गैस स्रोतों से जोड़ता है। देश की नंबर 1 गैस कंपनी गेल विकास, सफलता और सीखने के अवसर एवं अच्छे पारिश्रमिक प्रदान करती है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अपने कार्य केंद्रों/यूनिट कार्यालयों के लिए नीचे दर्शाई गई **तालिका-I** में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है :-

तालिका-I

क्र. सं.	पद का नाम	ग्रेड	अनारक्षित	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	अ. जा.	कुल	निम्नवर्णित श्रेणियों में पीडब्ल्यूबीडी हेतु यथा उपयुक्त चिह्नित पद
1	**मुख्य प्रबंधक (नवीकरणीय ऊर्जा)**	ई-5	1	1	1	1	4	क) बी,एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल,डीडब्ल्यू, एएवी, सीपी, एलसी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) में शामिल एमडी
2	**मुख्य प्रबंधक (अर्थशास्त्री)**	ई-5	4	-	-	-	4	क) बी,एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एएसडी (एम), एमआई ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) में शामिल एमडी

3	**मुख्य प्रबंधक (विधि)**	ई-5	1	-	-	-	1	क) बी,एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, ओएएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एमआई ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) में शामिल एमडी
4	**मुख्य प्रबंधक (चिकित्सा सेवाएं)**	ई-5	1	-	1	-	2	ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी ङ) उपर्युक्त श्रेणी (ग) से (घ) में शामिल एमडी
5	**मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)**	ई-5	1	-	1	1	3	क) बी,एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, बीएल, ओएल, ओएएल, सीपी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी, एसएलडी, एमआई ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) में शामिल एमडी
कुल			**8**	**1**	**3**	**2**	**14**	

प्रयुक्त संक्षिप्तियां

संक्षिप्तियां	**स्पष्टीकरण**
पीडब्ल्यूबीडी (PwBD)	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (Persons with Benchmark Disability)
बी (B)	दृष्टिबाधित (Blind)
एलवी (LV)	अल्प दृष्टि (Low vision)
डी (D)	बधिर (Deaf)
एचएच (HH)	अल्प बधिर (Hard of Hearing)
ओए (OA)	एक हाथ (One Arm)
ओएल (OL)	एक पैर (One Leg)
बीए (BA)	दोनों हाथ (Both Arms)
बीएल(BL)	दोनों पैर (Both Legs)
एलसी (LC)	कुष्ठरोग से स्वस्थ (Leprosy Cured)

ओएएल (OAL)	एक हाथ तथा एक पैर (One Arm and One Leg)
सीपी (CP)	सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
एएवी (AAV)	तेजाब हमले से पीडित (Acid Attack Victims)
डीडब्ल्यू (Dw)	बौनापन (Dwarfism)
एमडीवाई (MDy)	मसकुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy)
एएसडी (ASD)	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder) एम = माइल्ड, एमओडी = मोडरेट (M = Mild, MoD = Moderate)
एसएलडी (SLD)	विशिष्ट अध्ययन दिव्यांगता (Specific Learning Disability)
एमआई (MI)	मानसिक बीमारी (Mental illness)
एमडी (MD)	बहु दिव्यांगता (Multiple Disability)
ओबीसी (एनसीएल) OBC (NCL)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) Other Backward Class (Non-Creamy Layer)
ईडब्ल्यूएस (EWS)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)

बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी/श्रेणियों के व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जिनके लिए पद निर्धारित (उपर्युक्त **तालिका-I** में यथा निर्दिष्ट) किए गए हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, यद्यपि उनके लिए कोई रिक्ति विशेष रूप से आरक्षित नहीं है । ऐसे अभ्यर्थियों की उस पद हेतु चयन / नियुक्ति के लिए योग्यता के सामान्य मानकों के अनुरूप विचार किया जाएगा।

पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित रिक्ति हेतु संबंधित श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आरक्षण/रियायत के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि संबंधित दिव्यांगता **40%** से कम नहीं हो ।

1. **उक्त पदों के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता(एं), न्यूनतम अपेक्षित अनुभव और ऊपरी आयु सीमा नीचे तालिका- II में दी गई है:**

तालिका- II

क्र. सं.	पद/ग्रेड/वेतनमान एवं आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता(एं)	न्यूनतम आवश्यक अनुभव
1	पद : मुख्य प्रबंधक (नवीकरणीय ऊर्जा) ग्रेड : ई-5 वेतनमान : 90,000 –2,40,000/- ऊपरी आयु सीमा : 40 वर्ष	न्यूनतम 65% अंकों के साथ केमिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर / इलेक्ट्रिकल एंड पावर / इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्स्ट्रूमेंटेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंटेशन / इलेक्ट्रिकल एंड इन्स्ट्रूमेंटेशन / इन्स्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल / मैकेनिकल / प्रोडक्शन / प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल/ मेनुफेक्चरिंग में बैचलर डिग्री	राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभाग(गों) / संस्थान(नों) / उपक्रम(मों) और /अथवा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों) / संस्थान(नों) / कंपनी(यों) में उस संगठन के कार्मिक के रूप में न्यूनतम 12 (बारह) वर्षों का शैक्षिक योग्यता पश्चात कार्यपालक अनुभव (जीईटी/ईटी/एमटी के रूप में अनुभव सहित) उक्त उल्लिखित 12 वर्षों के अपेक्षित अनुभव में से 04 वर्ष इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, तथापि राज्य/ केन्द्रीय सरकार के विभाग(गों) / संस्थान(नों) / उपक्रम(मों) और / अथवा निजी क्षेत्र के

			प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों) / संस्थान(नों) / कंपनी(यों) में उस संगठन के कार्मिक के रूप में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा (पवन/सौर) / हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में न्यूनतम 08 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के पास पूर्व निचले वेतनमान अथवा पूर्व निचले के समकक्ष वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
2	**पद :** मुख्य प्रबंधक (अर्थशास्त्री) **ग्रेड :** ई-5 **वेतनमान :** 90,000 –2,40,000/- **ऊपरी आयु सीमा :** 40 वर्ष	न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अर्थशास्त्र / प्रायौगिक (अप्लाइड) अर्थशास्त्र / व्यवसाय अर्थशास्त्र / इकोनोमेट्रिक्स में स्नातोकोत्तर डिग्री	ऊर्जा/तेल एवं गैस क्षेत्र के राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभाग(गों) / संस्थान(नों) / उपक्रम(मों) और / अथवा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों) / संस्थान(नों)/ कंपनी(यों) में उस संगठन के अर्थशास्त्री / विश्लेषक कार्मिक के रूप में न्यूनतम 12 (बारह) वर्षों का शैक्षिक योग्यता पश्चात कार्यपालक अनुभव सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के पास पूर्व निचले वेतनमान अथवा पूर्व निचले के समकक्ष वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
3	**पद :** मुख्य प्रबंधक (विधि) **ग्रेड :** ई-5 **वेतनमान :** 90,000 –2,40,000/- **ऊपरी आयु सीमा :** 43 वर्ष	न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री तथा न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि (एलएलबी) (न्यूनतम 03 वर्षों का प्रोफेशनल कोर्स) में बैचलर डिग्री **अथवा** न्यूनतम 55% अंकों के साथ 05 वर्षों की इंटिग्रेटेड एलएलबी डिग्री (प्रोफेशनल)	राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभाग(गों) / संस्थान(नों) / उपक्रम(मों) और अथवा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों) / संस्थान(नों) / कंपनी(यों) में उस संगठन के विधि कार्यपालक कार्मिक के रूप में अथवा बड़ी लॉ फर्म में अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 12 (बारह) वर्षों का शैक्षिक योग्यता पश्चात इन लाइन अनुभव । बड़ी लॉ फर्म में अधिवक्ता के रूप में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के अनुभव की गणना के लिए अधिवक्ता के रूप में संबंधित बार काउंसिल में नामांकन होना चाहिए । विभिन्न न्यायिक/अर्ध-न्यायिक फोरम में मुकदमे, मध्यस्थता और सुलह मामलों, विभिन्न विधिक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और जांच करने, विलय, अधिग्रहण एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कानूनी मामलों को

			संभालने, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के नियामक मामलों, औद्योगिक/श्रम कानून मामलों आदि के संचालन का अनुभव । शिपिंग और एम एंड ए से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि मुद्दों/मामलों का संचालन वांछनीय होगा । सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के पास पूर्व निचले वेतनमान अथवा पूर्व निचले के समकक्ष वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
4	मुख्य प्रबंधक (चिकित्सा सेवाएं) ग्रेड **:** ई-5 वेतनमान **:** 90,000 –2,40,000/- ऊपरी आयु सीमा **:** 43 वर्ष	एमबीबीएस के साथ जनरल मेडिसिन में एमडी / डीएनबी (योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) /राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए)	सरकारी मेडिकल कॉलेज अथवा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज / अस्पताल अथवा राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/निजी क्षेत्र के संगठन/संस्थान में चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ/परामर्शदाता/ लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 09 (नौ) वर्षों का शैक्षणिक योग्यता पश्चात इन लाइन अनुभव (सीनियर रेजिडेंट के रूप में अनुभव सहित)।
5	मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) ग्रेड : ई-5 वेतनमान **:** रुपए 90,000 – 2,40,000/- ऊपरी आयु सीमा **:** 40 वर्ष	न्यूनतम 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और न्यूनतम 65% अंकों के साथ कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध/मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित दो वर्षों का एमबीए / एमएसडब्ल्यू **अथवा** न्यूनतम 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और न्यूनतम 65% अंकों के साथ कार्मिक प्रबंधन / कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध में दो वर्ष की मास्टर्स डिग्री / दो वर्ष का पीजी डिप्लोमा। विधि (प्रोफेशलन) में स्नातक डिग्री की अतिरिक्त योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी ।	राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभाग(गों)/ संस्थान(नों)/ उपक्रम(मों) और /अथवा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों)/ संस्थान(नों)/ कंपनी(यों) में मानव संसाधन संबंधी विभिन्न कार्यों में उस संगठन के कार्मिक के रूप में न्यूनतम 12 (बारह) वर्षों का शैक्षणिक योग्यता पश्चात इन लाइन कार्यपालक अनुभव (जीईटी/ईटी/एमटी के रूप में अनुभव सहित) । राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभाग(गों) / संस्थान(नों)/ उपक्रम(मों) और /अथवा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों) / संस्थान(नों)/ कंपनी(यों) में उस संगठन के कार्मिक के रूप में न्यूनतम 12 वर्षों के अपेक्षित अनुभव में से न्यूनतम 08 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के पास पूर्व निचले वेतनमान अथवा पूर्व निचले के समकक्ष वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।

2. <u>आवश्यक शैक्षणिक योग्यता(ओं) तथा आवश्यक अनुभव के संबंध में नियम और शर्तें</u> **[*जैसा कि तालिका - II के संबंधित कॉलम में उल्लेख किया गया है*]**

2.1 प्रत्येक पद हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता(एं) उपर्युक्त **तालिका-II** में उल्लिखित के अनुसार होगी ।

2.2 केवल पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा **(सीए / सीएमए शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर)** ।

2.3 सभी न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता(एं) यूजीसी द्वारा मान्यता-प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय / यूजीसी द्वारा मान्यता-प्राप्त भारतीय डीम्ड विश्वविद्यालय या स्वायत्त भारतीय संस्थानों / संबंधित सांविधिक परिषद (जहां भी लागू हो) से एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम होनी चाहिए। **इंजीनियरिंग में डिप्लोमा** की शैक्षणिक योग्यता (यदि लागू हो) संबंधित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

2.4 यथा निर्दिष्ट आवश्यक शैक्षणिक योग्यता(ओं) में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत संस्थान/विश्वविद्यालय के नियम/मानदंडों के अनुसार मान्य होगा।

2.5 जहां भी डिग्री में सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई या लेटर ग्रेड प्रदान किया जाता है, वहां विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनायी गई पद्धति के अनुसार आवेदन पत्र में समकक्ष प्रतिशत अंक दर्शाये जाने चाहिए। अभ्यर्थी को दस्तावेज जांच के समय संस्थान/विश्वद्यिालय से इससे संबंधित दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

2.6 इंजीनियरिंग डिग्री बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. इंजी. हो सकती है ।

2.7 05 वर्ष का बी.ई./बी.टेक. + संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में एम.ई./ एम.टेक. इंटिग्रेटेड दोहरी डिग्री धारक अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा।

2.8 गैर-तकनीकी विभाग हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जहां संबंधित विभाग में स्नातक और एमबीए/पीजी डिप्लोमा/मास्टर डिग्री दोनों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के रूप में अधिसूचित किया गया है और उन्होंने दोनों आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं अर्थात् संबंधित विभाग / विशेषज्ञता में स्नातक और एमबीए/पीजी डिप्लोमा/मास्टर डिग्री हेतु संयुक्त/एकल प्रतिशत अंकों के साथ प्रबंधन में 05 वर्ष का इंटिग्रेटेड एमबीए/इंटिग्रेटेड प्रोग्राम (अर्थात् बैचलर डिग्री (अर्थात् बीए, बी.कॉम, बी.एससी, बीबीए + एमबीए या बीई/बी.टेक+एमबीए आदि) किया है, उन पर संयुक्त/एकल प्रतिशत के साथ विचार किया जाएगा, बशर्ते कि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दिया गया अंतिम प्रतिशत उस विशेष पद के लिए अधिसूचित उच्चतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अर्हक मानदंडों को पूरा करता हो ।

2.9 तकनीकी विभाग के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जहां केवल बीई/बी.टेक. को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के रूप में अधिसूचित किया गया है और उन्होंने बी.ई./बी.टेक. के साथ संयुक्त रूप से 05 वर्ष का इंटीग्रेटेड एमबीए/इंटीग्रेटेड एम.एससी. अर्थात् बी.ई./बी.टेक. + एमबीए या बी.ई./बी.टेक. + एम.एससी. किया है, तो संयुक्त/एकल प्रतिशत के साथ उन पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दिया गया अंतिम प्रतिशत उस विशेष पद के लिए अधिसूचित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता मानदंडों को पूरा करता हो।

2.10 जहां कहीं भी एमबीए को आवश्यकता के रूप में उल्लेख किया गया है, एमबीए के अलावा, संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा / संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ एमएमएस पर भी विचार किया जाएगा ।

2.11 प्रबंधन में एमबीए / पीजी डिप्लोमा / एमएमएस / एमएसडब्ल्यू योग्यता जहां दोहरी विशेषज्ञता का उल्लेख है, उन विशेषज्ञताओं में से एक विशेषज्ञता को विभाग विशेष होना नितांत आवश्यक है जिसके लिए पद का विज्ञापन किया गया है। अभ्यर्थी की विशेषज्ञता का उल्लेख अंतिम मार्कशीट/डिग्री प्रमाण पत्र में किया जाना चाहिए या अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें उसके/ उसकी विशेषज्ञता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो ।

2.12 अर्जित मेडिकल डिग्री / डिप्लोमा (अर्थात एमबीबीएस / एमडी/एमएस/डीजीओ/डीएनबी आदि) भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) / राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ामिनेशन) अथवा संबंधित चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल) / निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2.13 उपर्युक्त **तालिका– II** में यथा वर्णित योग्यता पश्चात न्यूनतम आवश्यक **अनुभव** दिनांक **11.12.2024** तक का होना चाहिए।

2.14 पद के लिए यथा निर्धारित राज्य/ केंद्र सरकार के विभाग(गों)/संगठन(नों)/उपक्रम(मों) और/अथवा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन(नों)/ संस्थान(नों)/ कंपनी(कंपनियों) के संबंधित उद्योग में अभ्यर्थियों की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि (प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार) को अपेक्षित अर्हता पश्चात् न्यूनतम अनिवार्य अनुभव मानदंड के अनुभव के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि नियम और शर्तों के अनुसार अन्य सभी पात्रता मानदंड पूरे होते हों । प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाण में अभ्यर्थी को सांविधिक निकाय तथा प्रशिक्षण के संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि, **इंडस्ट्रियल/वोकेशनल/आर्टिकलशिप प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में** पूरा किया गया है, तो उसे न्यूनतम आवश्यक अनुभव मानदंड के रुप में नहीं माना जाएगा।

2.15 निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन / संस्थान / कंपनी में सूचीबद्ध कंपनियां शामिल होंगी (इससे अभिप्रेत है और शामिल हैं वे कंपनियां जो एनएसई में सूचीबद्ध हैं या बीएसई की समूह क एवं ख में शामिल हैं) या संगठन / संस्थान / कंपनी जिनमें उस संगठन में रोजगार के किसी भी प्रासंगिक वित्त वर्ष में 500 से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत थे या सकल कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो।

बड़ी लॉ फर्म में केवल वही लॉ फर्म शामिल होगा जिसका उस संगठन में रोजगार के किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक कारोबार ₹ 10 करोड़ से अधिक हो । अभ्यर्थियों को इसके प्रमाण में उपयुक्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

2.16 अभ्यर्थी जिन्हें पैनलबद्ध एजेंसी / ठेकेदारों द्वारा ठेके पर कार्य करने का अनुभव है (अर्थात् जिन्हें परियोजना / निर्माण / ओ एंड एम या अन्य गतिविधियों में कार्य करने हेतु अन्य एजेंसी / संगठन द्वारा ठेके के आधार पर तैनात किया गया हो) उन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी संगठन में **केवल स्थायी अवधि के आधार पर नियोजन सहित सीधे कार्य करने के अनुभव** पर ही विचार किया जाएगा।

2.17 ई-5 ग्रेड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीपीएसई, पीएसयू बैंकों और केंद्र सरकार के समकक्ष और एक स्तर नीचे का वेतनमान निम्नानुसार है :

तालिका-III

पद, ग्रेड, आईडीए वेतनमान और समकक्ष सीडीए वेतनमान (रूपए में)	**एक स्तर नीचे का ग्रेड / वेतनमान (आईडीए पैटर्न) (सीपीएसई 2017 के लिए वेतन पुनरीक्षण के अनुसार) (रूपए में)**	**एक स्तर नीचे का ग्रेड / राज्य सरकार/केंद्र सरकार के लिए वेतनमान (सीडीए पैटर्न) (रूपए में)**	**एक स्तर नीचे का ग्रेड / पीएसयू बैंकों में वेतनमान (आईबीए वेतन पुनरीक्षण 2020 के अनुसार) (रूपए में)**
मुख्य प्रबंधक; ई-5 ग्रेड; वेतनमान - 90,000-240,000 समकक्ष वेतनमान (सीडीए) - 118,500-214,100	ई-4 ग्रेड; वेतनमान रू. 80,000-220,000	पुनरीक्षित (2016 से 7वीं सीपीसी) - स्तर 12; 78,800-209, 200 पूर्व-पुनरीक्षित (2006 से 6वां सीपीसी) - वेतन बैंड 15,600-39,100, ग्रेड पे- 7600	स्केल - III रू. 63,840-78,230

*नोट:- राज्य सरकार के संगठन या ऐसे संगठन (सरकारी/पीएसयू/अन्य सरकारी एजेंसियां/सरकार के स्वायत्त निकाय) जो उपरोक्त **तालिका III** में उल्लिखित वेतनमान के अलावा अन्य वेतनमान का अनुपालन कर रहे हैं, वहां कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने संगठन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र/वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें आईडीए/सीडीए/पीएसयू बैंक, जो भी लागू हो, के वेतनमान के समान उनके वेतनमान का स्तर उल्लिखित हो ।*

3. <u>शैक्षिक योग्यता(ओं) हेतु अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में छूट:</u>

अ.जा., अ.ज.जा. और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में 5% की छूट प्रदान की जाएगी । तथापि, शैक्षणिक योग्यता में अंकों के न्यूनतम अर्हक प्रतिशत में उपरोक्त छूट केवल उन पदों के संबंध में लागू है जो अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं । अनारक्षित पदों पर आवेदन करने वाले अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों पर शैक्षणिक योग्यता के सामान्य मानक के तहत विचार किया जाएगा और उनके लिए शैक्षिक योग्यता में अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

इसके अलावा, बैचलर डिग्री/मास्टर डिग्री आदि में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए अंकों को अगले उच्च अंक तक पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उदाहरण के लिए 64.99% को 65% नहीं माना जाएगा ।

4. <u>ऊपरी आयु सीमा एवं आयु में छूट</u>:

4.1 ऊपरी आयु सीमा उपरोक्त तालिका- II में प्रत्येक पद के सामने दर्शाई गई है और इसकी गणना **11.12.2024** के अनुसार की जाएगी । तथापि, अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में लागू छूट का विवरण नीचे **तालिका-IV** में उल्लिखित है ।

तालिका-IV

श्रेणी	लागू आयू छूट (वर्षों में)
अ.जा./अ.ज.जा.	5
ओबीसी (एनसीएल)	3
यूआर/ईडब्ल्यूएस से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी	10
ओबीसी (एनसीएल) से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी	13
अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी	15

4.2 ऊपरी आयु सीमा में उक्त छूट केवल उन पदों के संबंध में लागू है जो अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी (एनसीएल) श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अनारक्षित पदों पर आवेदन करने वाले अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थियों पर योग्यता के सामान्य मानक के तहत विचार किया जाएगा और ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट लागू नहीं होगी। तथापि, पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू होगी, चाहे पद आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए छूट और रियायतें इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होंगी ।

4.3 भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ के सशस्त्र सेना बल में **लगातार न्यूनतम 6 माह की** सेवाएं दी हैं उनकी वास्तविक आयु से ऐसी सेवा की अवधि की कटौती की अनुमति होगी और उस पद/सेवाओं के लिए निर्धारित **परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक नहीं है** जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करता है, तो उसे आयु सीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने वाला माना जाएगा।

4.4 **आयु में समस्त संभावित छूटों को मिला कर अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।**

5. परिलब्धियां:

5.1 चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा और वे नीचे **तालिका-V** में दिए गए अनुसार संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक मूल वेतन आहरित करेंगे:

तालिका-V

ग्रेड	वेतनमान	प्रारंभिक मूल वेतन
ई-5	रु.90,000 – 2,40,000/-	रु.90,000/-

5.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों या उनके स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, अर्ध-सरकारी संस्थानों आदि से ई-5 ग्रेड पर गेल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों हेतु वेतन संरक्षण लागू होगी। तथापि, इसका मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एलपीसी)/सीटीसी विवरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी की लागत (सीटीसी) (पीआरपी के अलावा) के आधार पर किया जाएगा। गेल बनाम पिछले संगठन में तुलना के उद्देश्य से निम्नलिखित घटक सीटीसी में सम्मिलित होंगे:

- मूल वेतन
- महंगाई भत्ता

- अनुलाभ और भत्तों का कैफेटेरिया
- गेल में कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थान के लिए लागू दर पर एचआरए (पिछले संगठन में ऐसे स्थान की श्रेणी के लिए स्वीकार्य राशि के साथ तुलना की जाएगी)
- नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता (केवल चिकित्सा अधिकारियों के लिए)
- सेवानिवृत्ति लाभ

5.2.2 स्थान आधारित प्रतिपूरक भत्ता, प्रचालन/कार्य-आधारित भत्ता, कार्य-आधारित हार्डशिप ड्यूटी भत्ता, विशेष प्रतिपूरक भत्ता, आदि के रूप में भत्तों के संबंध में बिंदु संख्या 5.2.1 पर उपरोक्त सीटीसी के लिए मान्य नहीं होगा।

5.2.3 वेतन संरक्षण के लिए उसके / उसकी अनुरोध पर विचार करने के लिए पिछले रोजगार का एलपीसी / सीटीसी विवरण प्रस्तुत करना एकमात्र अभ्यर्थि की होगी।

5.2.4 उपर्युक्त पद्धति के अनुसार गेल द्वारा निपटाए गए वेतन संरक्षण के मामले अंतिम होंगे और संबंधित कर्मचारी पर बाध्यकारी होंगे।

5.3 **वेतन और भत्ते:** ग्रेड में लागू मूल वेतन, लागू दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) और कैफेटेरिया अप्रोच के अंतर्गत परिलब्धियां और भत्ते ।

5.4 **परिवर्तनीय वेतन:** लागू नीति के अनुसार निष्पादन से संबंधित वेतन ।

5.5 **अन्य लाभ:** कंपनी के नियमों के अनुसार कंपनी आवास/ लीज आवास/ एचआरए, चिकित्सा सुविधा, समूह बीमा, गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि ।

5.6 **सेवानिवृत्ति लाभ:** अपेक्षित नियमों और शर्तों को पूरा करने पर, कर्मचारी परिभाषित अंशदायी योजना के तहत अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए पात्र होंगे । इसके अलावा, जो कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा के पश्चात गेल से अधिवर्षिता प्राप्त करते हैं, उन्हें कंपनी की परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत पेंशन और सेवा-निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ प्राप्त होंगे ।

5.7 उपर्युक्त सभी हितलाभ कंपनी की वर्तमान और समय-समय पर संशोधित नीति के अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6. तैनाती/कार्य

अभ्यर्थियों को गेल (इंडिया) लिमिटेड या गेल (इंडिया) लिमिटेड की किसी भी सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम के किसी भी प्रतिष्ठान / परियोजनाओं / कार्यालयों आदि या भारत सरकार / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के किसी भी विभाग में तैनात किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार शिफ्ट ऑपरेशन सहित विनिर्दिष्ट जॉब / कार्य सौंपे जा सकते हैं ।

7. <u>आवेदन शुल्क</u>

7.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय, **सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी(एनसीएल)** श्रेणी के अभ्यर्थियों को **रु. 200/- (दो सौ रुपए मात्र)** (लागू सुविधा शुल्क एवं कर के अलावा) के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, **अ.जा./ अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है** जो दस्तावेज सत्यापन के समय केंद्र सरकार के निर्धारित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वास्तविक प्रति के प्रस्तुत करने के अध्यधीन है ।

7.2 आवेदन पेज पर मिस्लेनियस टैब ("एक्स्पीरियंस डिटेल" टैब के समीप) के अंतर्गत आवेदन शुल्क भुगतान का लिंक होस्ट किया गया है । आवेदकों को "Please click on link for Payment" लिंक पर क्लिक करना होगा और भुगतान पेज पर आगे बढ़ना होगा ।

7.3 आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने पसंदीदा भुगतान के तरीके जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट और यूपीआई आदि का चयन करना होगा । लागू सुविधा शुल्क और कर यदि आवेदन शुल्क से अधिक हो तो आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

7.4 सफल लेन-देन के पश्चात आवेदकों को आवेदन की अंतिम सबमिशन हेतु जारी रखने के लिए गेल के करियर होम पेज/मिस्लेनियस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। लेन-देन की तिथि, रसीद संख्या, राशि और भुगतान की स्थिति प्रत्येक सफल लेनदेन के लिए भुगतान शीर्ष के तहत स्वत: भर जाएगी । आवेदक भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान विवरण को नोट भी कर सकते हैं ।

7.5 लेन-देन विफल होने की स्थिति में आवेदकों को मिस्लेनियस टैब में होस्ट किए गए लिंक "Please click on link for Payment" पर क्लिक करके पुनः प्रयास करने की सलाह दी जाती है । आवेदकों को "आवेदन के नॉन-सबमिशन" से बचने के लिए आवेदन विंडो बंद होने से पहले लेन-देन (आवेदन शुल्क का भुगतान) पूरा करने की सलाह दी जाती है।

7.6 भुगतान संबंधी कोई समस्या (अर्थात लेन-देन की विफलता) होने की स्थिति में आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले को सीधे अपने बैंक/सेवा प्रदाता के समक्ष रखें और इसका समाधान करें।

7.7 लेन-देन संबंधी समस्या के कारण विज्ञापन के अनुसार अधिसूचित तिथि और समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत न होने पर गेल (इंडिया) लिमिटेड जिम्मेदार नहीं होगा ।

8. **<u>आवेदन कैसे करें</u>**

8.1 **अभ्यर्थियों को गेल की वेबसाइट (https://<u>gailonline.com</u> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।** आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा । आवेदन पोर्टल दिनांक **12.11.2024 को 1100 बजे** से **दिनांक 11.12.2024 को 1800 बजे** तक खुला रहेगा ।

8.2 ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया से **संबंधित विस्तृत निर्देशों** को पढ़ने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित विवरण होने चाहिए और ऑनलाइन आवेदन करते समय इन्हें अपने पास रखना चाहिए :

(i) वैध ई-मेल पता और मोबाइल नंबर। इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण संचार इसी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे (कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेलबॉक्स पर भेजा गया ईमेल जंक/स्पैम फ़ोल्डर में रीडायरेक्ट नहीं किया गया है)।

(ii) अभ्यर्थी के हाल के पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ (3.5 X 4.5 सें.मी.) तथा हस्ताक्षर (3.5 X 4.5 सें.मी.) की स्कैन की गई प्रति। फाइल की साइज 250 KB तक .JPG, .PNG अथवा .JPEG फार्मेट में होनी चाहिए।

8.3 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। सबमिट करने से पहले आप सूचना को एडिट कर सकते हैं। अतः, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले उसका पूर्वावलोकन कर लें। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद इसे एडिट नहीं किया जा सकता है।

8.4 इस संबंध में आवेदन फार्म प्रस्तुत करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

8.4.1 चरण -I : व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, ई-मेल आई डी का उपयोग करके पंजीकरण करे। आपके पंजीकृत ई-मेल आई डी पर यूज़र आईडी तथा पासवार्ड भेजे जाएंगे।

8.4.2 चरण-II: क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग-इन करें ।

8.4.3 चरण-III: विज्ञापन संख्या और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसका चयन करें ।

8.4.4 चरण-IV: आवेदन फॉर्म को पूरा करें (व्यक्तिगत विवरण, योग्यता एवं अनुभव विवरण) ।

8.4.5 चरण-V: भुगतान करें (यदि लागू हो)

8.4.6 चरण-VI: उपलब्ध "अंतिम पूर्वावलोकन" विकल्प का उपयोग करके अपने दर्ज किए गए विवरण की जांच करें ।

8.4.7 चरण-VII: सभी सूचनाओं को सत्यापित करने के बाद फॉर्म प्रस्तुत करें ।

8.5 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की प्रति यूनिक आवेदन अनुक्रम संख्या के साथ संभाल कर रखना अपेक्षित है। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद इसे साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भविष्य के संदर्भ के लिए इस फॉर्म को अपने पास रखें।

8.6 **अभ्यर्थियों को इस स्तर पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और/या अन्य दस्तावेज़ गेल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।**

8.7 यदि अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है, तो उसे दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के समय डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र को सभी **मूल दस्तावेजों** के साथ [नीचे दिए गए क्रम में] एक साथ सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी का एक अलग सेट विधिवत **स्वप्रमाणित** (उसी क्रम में) लाना होगा, **इसमें विफल होने पर उसे आगे की चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:**

(i) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के साथ 02 हाल के पासपोर्ट आकार की फोटो (जो फोटो ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अपलोड की गई है) के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ।

(ii) जन्म तिथि के समर्थन में दस्तावेज - मैट्रिकुलेशन / दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र / दसवीं कक्षा की मार्कशीट ।

(iii) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जाति / जनजाति प्रमाण पत्र [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू], विकलांगता प्रमाण पत्र [पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में] सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप और भूतपूर्व सैनिक प्रमाण (भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में) । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) (ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में) ।

(iv) शैक्षणिक योग्यता के संबंध में सभी प्रमाण पत्र / शंसापत्र (मैट्रिक से शुरू होने वाले सभी सेमेस्टर / वर्षवार मार्क शीट, डिग्री और डिप्लोमा प्रमाण पत्र) संस्थान / विश्वविद्यालय से दस्तावेजी प्रमाण/ प्रमाण पत्र (विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार) समकक्ष दर्शाते हुए यदि डिग्री सीजीपीए/ओजीपीए या लेटर ग्रेड में प्रदान की जाती है तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

(v) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित अनुभव विवरण के समर्थन में नियोक्ता द्वारा जारी पूर्ण और उचित अनुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।

अनुभव के लिए केवल निम्नलिखित प्रकार के दस्तावेज़ी प्रमाणों पर विचार किया जाएगा:

I. पूर्व रोजगार के लिए:

- संगठन के सक्षम और अधिकृत कार्यकारी द्वारा जारी अनुभव पत्र/सेवा प्रमाण पत्र जिसमें संबंधित कर्मचारी द्वारा संगठन से कार्यमुक्त करने की तिथि सहित नाम, पदनाम, कार्यग्रहण की तिथि और संगठन में भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने वाला कोई भी दस्तावेज **और**

- निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज़ः
  क. अंतिम पे पर्ची/वेतन पर्ची
  ख. वार्षिक वेतनवृद्धि पत्र
  ग. पदोन्नति आदेश / स्थानांतरण आदेश
  घ. पीएफ विवरण जिसमें नियोक्ता का विवरण स्पष्ट रूप से वर्णित हो
  ङ. प्रस्ताव पत्र / नियुक्ति पत्र जिसमें रोजगार के नियम और शर्तों के साथ संगठन में कार्यग्रहण करने की तिथि स्पष्ट रुप से वर्णित हो।

II. वर्तमान रोजगार के लिए:

- प्रस्ताव पत्र / नियुक्ति पत्र जिसमें रोजगार के नियम और शर्तों के साथ संगठन में कार्यग्रहण करने की तिथि स्पष्ट रुप से वर्णित हो तथा नवीनतम पे स्लिप / वेतन पर्ची और कोई भी दस्तावेज जिसमें संगठन में भूमिका और दायित्व स्पष्ट रुप से वर्णित हो **और**

- निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज़ः
  क. वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र
  ख. वार्षिक वेतनवृद्धि पत्र
  ग. पदोन्नति आदेश / स्थानांतरण आदेश
  घ. पीएफ विवरण जिसमें नियोक्ता का विवरण स्पष्ट रूप से वर्णित हो
  ङ. संगठन के सक्षम और प्राधिकृत कार्यपालक द्वारा जारी अनुभव पत्र जिसमें पदनाम और संगठन में कार्यग्रहण करने की तिथि स्पष्ट रुप से वर्णित हो ।

III. निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े संगठन/ संस्थान/ कंपनी के समर्थन में दस्तावेज:

- रोज़गार के संबंधित वित्तीय वर्ष में **एनएसई** पर संगठन / कंपनी / संस्थान के सूचीकरण **अथवा बीएसई** के **समूह ए** अथवा **समूह बी** पर सूचीकरण के लिए दस्तावेज़ी प्रमाण **या**
- उस संगठन में रोजगार के किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में 500 से अधिक नियमित कर्मचारियों का प्रमाण (निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएंगे)
  - किसी भी प्रासंगिक वर्ष का लेखापरीक्षित / प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट
  - किसी भी प्रासंगिक वर्ष हेतु 500 से अधिक कर्मचारियों की संख्या की घोषणा करने वाला मानव संसाधन विभाग से प्रमाणीकरण
  - किसी भी प्रासंगिक वर्ष हेतु कंपनी की वेबसाइट पर घोषणा
    या

- रोजगार के किसी भी प्रासंगिक वर्ष (वर्षों) में 250 करोड/10 करोड़ (बड़ी लॉ फर्म के लिए) से

अधिक का वार्षिक टर्नओवर का प्रमाण (निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा)

- किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु टर्नओवर का स्पष्ट रुप से उल्लेख करने वाली प्रकाशित / लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट
- किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु प्रकाशित/लेखापरीक्षित लाभ एवं हानि का विवरण
- किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु टर्नओवर का उल्लेख करने वाली कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की रिपोर्ट
- पत्र शीर्ष पर संगठन द्वारा जारी संबंधित किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष हेतु टर्नओवर का प्रमाणपत्र

उपरोक्त खंड 8.7 (v) के तहत उल्लिखित उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। निजी क्षेत्र के बड़े या प्रतिष्ठित कंपनी के संबंध में अभ्यार्थी को यह सुनिश्चित करना है कि मानव संसाधन या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव पत्र / प्रमाण पत्र हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(vi) अभ्यर्थी के वर्तमान में केंद्र / राज्य सरकार के विभाग, केंद्रीय/ राज्य पीएसयू या अर्द्ध सरकारी संगठन में कार्यरत होने की स्थिति में **नियोक्ता से एनओसी / अग्रेषण पत्र**

(vii) **वैध पहचान प्रमाण:** पैन कार्ड/ मतदाता आईडी/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि ।

(viii) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपरोक्त वर्णित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करे। उपर्युक्त यथा वर्णित किसी भी अपेक्षित दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

(ix) प्रस्तुत दस्तावेज(जों) / अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित किसी भी संदेह/स्पष्टीकरण की स्थिति में **गेल अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है जिन्हें अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना आवश्यक है ।** इसे प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

8.8 उसी फोटो की **तीन** प्रतियां (ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा अपलोड किए गए) भविष्य में उपयोग हेतु अपने पास रखें । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने स्वरूप में परिवर्तन न करें ।

8.9 पद के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में दिए गए पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों को पूरा करता/करती है। यदि अभ्यर्थी संबंधित पद, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए अयोग्य पाया जाता/जाती है तो गेल भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किए गए आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

8.10 किसी भी संदेह का समाधान career@gail.co.in **पर केवल सब्जेक्ट लाइन**: **Query-GAIL/OPEN/MISC/4/2024** के साथ किया जाएगा। आवेदक कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विषय वाले केवल ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा**,** जो इस विज्ञापन के लिए प्रासंगिक हैं और जिनका उल्लेख उपर्युक्त विज्ञापन में नहीं किया गया है।

9. स्वास्थ्य/ चिकित्सा योग्यता

9.1 उपर्युक्त पदों के लिए नियुक्ति कंपनी द्वारा पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अभ्यर्थी के चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने के अधीन होगी। कंपनी में किसी पद पर नियुक्त होने वाले

प्रत्येक अभ्यर्थी को केंद्रीय/राज्य सरकार के अस्पताल (न्यूनतम जिला अस्पताल स्तर वाले) या गेल नामित पैनलबद्ध अस्पतालों में अपनी रोजगार-पूर्व चिकित्सा परीक्षा करवानी होगी, और उसे चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष चिकित्सा बोर्ड या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी केंद्रीय/ राज्य सरकार के अस्पताल के समकक्ष (न्यूनतम जिला अस्पताल के स्तर पर) या गेल द्वारा नामित अस्पताल द्वारा जारी निर्धारित प्रारूपों में मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कार्यभार ग्रहण करने की स्वीकृति चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र जारी करने और सीएमओ, गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उसे आगे स्वीकार किए जाने के अधीन होगी। गेल को बिना कोई कारण बताए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट की पुन: जांच या समीक्षा करने का अधिकार होगा और गेल द्वारा विनिर्दिष्ट सीएमओ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

9.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि गेल के रोजगार-पूर्व चिकित्सा मानदंड के अनुरूप वे चिकित्सकीय रुप से स्वस्थ हों। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे मेडिकल फिटनस हेतु चिकित्सा मानकों/मानदंडों तथा रोजगार पूर्व चिकित्सा जांच के संबंध में गेल की वेबसाइट (https://gailonline.com/CR-current SC form medical.html) पर उपलब्ध विस्तृत दिशानिर्देशों का अवलोकन करें ।

10. चयन प्रक्रिया

10.1 सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों (ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर) को ही आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। सभी मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर, अभ्यर्थियों को एकल चरणीय/ बहु चरणीय चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, गेल न्यूनतम पात्रता मानकों को उपयुक्त रूप से बढ़ाकर उचित संख्या में चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए गेल शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को अपनाएगा ।

10.2 शॉर्टलिस्टिंग और चयन अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदकों द्वारा केवल सटीक, पूर्ण और सही जानकारी दी जाए । गलत/ असत्य जानकारी प्रस्तुत करने को अयोग्यता माना जाएगा और ऐसी गलत/ असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के किसी भी परिणाम के लिए गेल जिम्मेदार नहीं होगा ।

10.3 चूंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के आधार पर सभी आवेदनों की जांच की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थियों को जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, की उपयुक्तता से स्वयं को संतुष्ट करना होगा। यदि भर्ती और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों ने गलत या असत्य जानकारी दी है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी रूप में पैरवी करने से अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी ।

10.4 ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और उसमें कोई बदलाव करने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

10.5 यह नोट किया जाए कि काल्पनिक अथवा छद्म नाम/ ई-मेल आईडी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना सख्त वर्जित है । ऐसे तरीकों को अपनाने वाला कोई भी अभ्यर्थी आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा ।

10.6 चयन प्रक्रिया में चयन समिति के समक्ष समूह चर्चा और/या साक्षात्कार शामिल होगा ।

10.7 साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले अंकों का न्यूनतम योग्यता प्रतिशत यूआर / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 60% और अ.जा./अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए 55% निर्धारित किया गया है। समूह चर्चा / प्रवीणता परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा (जहां लागू हो) या कौशल और दक्षताओं का मूल्यांकन करने के लिए अपनाए गए किसी अन्य मानदंड में प्राप्त किए जाने वाले अंकों का न्यूनतम योग्यता प्रतिशत यूआर / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और अ.जा./अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 35% निर्धारित किया गया है।

10.8 ऊपर दी गई चयन प्रक्रिया अस्थायी है। तथापि, चयन प्रक्रिया कंपनी की प्रशासनिक/ व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।

11. <u>अन्य नियम एवं शर्तें तथा सामान्य निर्देश</u>

11.1 **केवल भारतीय नागरिक** ही आवेदन करने के पात्र हैं ।

11.2 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस विज्ञापन के सभी पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं और उनके द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में प्रस्तुत विवरण और बाद में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ऊपर उल्लिखित खंड **8.7** के अनुसार) सभी तरह से सही हैं । **चयन प्रक्रिया में प्रवेश का अर्थ यह नहीं है कि गेल (इंडिया) लिमिटेड अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में संतुष्ट है। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पता लगता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों में से किसी मानदंड को पूरा नहीं करता/करती है, और/ या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी भी तथ्य सामग्री को छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता लगता है, तो उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।**

11.3 **ऑनलाइन पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा दर्ज विवरण अंतिम हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को एसएससी / मैट्रिकूलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम दर्ज करना चाहिए ।** इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में घोषित डाक पते/ ई-मेल आईडी/ श्रेणी/ पदों को बदलने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11.4 **अभ्यर्थियों के पास एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए ।** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक वर्ष के लिए ई-मेल आईडी (ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाने के लिए) को सक्रिय रखें। ई-मेल आईडी एक बार दर्ज करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा । **अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा ।** चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बारे में सभी सूचना/ जानकारी ऑनलाइन आवेदन डेटा और दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी । सूचना/जानकारी आदि को प्राप्त करने और डाउनलोड करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी । गेल अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई अमान्य/ गलत ई-मेल आईडी के कारण भेजे गए ई-मेल के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

11.5 केवल चयनित सूचीबद्ध अभ्यर्थी, जो ऑनलाइन आवेदन डेटा और दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट रूप से पात्र पाए जाते हैं, को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा। आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची गेल वेबसाइट के करियर खंड में पोस्ट की जाएगी । यदि आवेदक को इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से **120 दिनों** के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जा सकता है कि वह चयन प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध नहीं है ।

11.6 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में एक बार श्रेणी [**सामान्य/ईडब्ल्यूएस/अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूडी**] भरने के बाद बदली नहीं जाएगी और बाद में अन्य श्रेणी का कोई लाभ स्वीकार्य नहीं होगा ।

11.7 **"क्रीमी लेयर"** के ओबीसी अभ्यर्थी, ओबीसी रियायत के हकदार नहीं हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को "सामान्य" के रूप में दर्शाना होगा ।

11.8 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस /अ.जा./ अ.ज.जा./ ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/ पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए छूट / आरक्षण लागू है ।

11.9 <u>आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा</u>

केवल ऐसे पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी आरक्षण/रियायतों के विद्यमान लाभ पाने के लिए पात्र होंगे जिनकी प्रासंगिक दिव्यांगता 40% से कम न हो। पीडब्ल्यूबीडी के लिए लागू आरक्षण/ रियायतों का लाभ लेने के लिए, अभ्यर्थियों को उनके दावे के समर्थन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 15.06.2017 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 591 (ई) द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11.10 **अ.जा./ अ.ज.जा.** श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपना जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल होता/होती है, तो उसका / उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11.11 **ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)** श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपना **नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा । अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण-पत्र में इंगित जाति और समुदाय का नाम प्रदर्शित होना चाहिए । यदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी अपना नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो उसका / उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा । इसके अलावा, यदि ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें यह उल्लेख करते हुए एक वचन-पत्र देना होगा कि वे चयन प्रक्रिया में भाग लेने के समय ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी से संबंधित हैं ।

11.12 **ईडब्ल्यूएस श्रेणी** के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए (निर्धारित फार्मेट के अनुसार) । निर्धारित फार्मेट तथा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 में उल्लिखित है ।

आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैध होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय और परिसंपत्ति सत्यापन के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया (यदि शॉर्टलिस्ट किया गया है) के समय आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त तिथि के बाद 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के समय इसे प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, श्रेणी परिवर्तन के उनके अनुरोध पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

11.13. सशस्त्र बलों से ऐसा अभ्यर्थी, जिसे सशस्त्र बलों से मुक्त/सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज किया गया हो और एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में अर्हताप्राप्त ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज़ी सत्यापन के समय अपने आवेदन के साथ वचन पत्र **{भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग अपेक्षित है}** प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जो उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो और उसमें यह उल्लेख हो कि उसने इस नियुक्ति से पहले सिविल पक्ष में कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं की है ।

11.14 ओबीसी (एनसीएल)/अ.जा./अ.ज.जा./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी हेतु निर्धारित फार्मेट डाउनलोड करने के लिए कृपया गेल के करियर लिंक (https://gailonline.com/CRcurrentSCformdownload.html) के 'करियर' खंड पर उपलब्ध प्रासंगिक लिंक “Download prescribed format for SC/ST/OBC(NCL)/EWS/PwBD certificate” पर क्लिक करें ।

11.15 अभ्यर्थी जो स्थानीय रोजगार कार्यालय(यों) के साथ पंजीकृत हैं और निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं तथा जिनके नाम इस अधिसूचना के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड को प्रायोजित हैं, उन्हें **गेल के भर्ती पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में आवेदन की अन्य किसी मोड पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

11.16 केंद्रीय / राज्य सरकार के विभाग, केंद्रीय / राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों या अर्ध सरकारी संगठन में वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी को **उचित माध्यम से अपना आवेदन अग्रेषित करना होगा** अथवा दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय वर्तमान नियोक्ता से **एनओसी** प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी अपना आवेदन **उचित माध्यम से** अग्रेषित नहीं करता है अथवा दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से **एनओसी** प्रस्तुत करने में विफल होता है तो उसका / उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा **और ऐसे अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा ।**

11.17 अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी सूचना यदि गलत पाई जाती है अथवा विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो भर्ती प्रक्रिया अथवा भर्ती या कार्यग्रहण के पश्चात किसी भी स्तर पर पंजीकृत अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा ।

11.18 गेल के पास न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। गेल के पास सभी या किसी भी उपर्युक्त पदों को भरने अथवा नहीं भरने तथा बिना किसी सूचना अथवा बिना कोई कारण बताए भर्ती/चयन प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/संवर्धन/संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार भी सुरक्षित है ।

11.19 निर्धारित योग्यता/अनुभव मानदंड न्यूनतम हैं और अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र बनाने हेतु केवल उनका होना ही पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में गेल का निर्णय अंतिम होगा ।

11.20 उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची को यथासमय अभ्यर्थियों की सूचना के लिए गेल की वेबसाइट (https://gailonline.com/CRShortlist.html) पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम अपडेट के लिए गेल की वेबसाइट (https://gailonline.com/CRApplyingGail.html) को देखते रहने की सलाह दी जाती है ।

11.21 उपर्युक्त विज्ञापन में किसी भी संशोधन, स्पष्टीकरण, परिशिष्ट, शुद्धिपत्र, समय विस्तार आदि को केवल गेल की वेबसाइट: https://gailonline.com के "करियर" खंड में अपलोड किया जाएगा और प्रेस में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी । अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें ।

11.22 आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैरवी किए जाने से उसका / उसकी अभ्यर्थिता अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। इस विज्ञापन के लिए भर्ती के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद को केवल **दिल्ली उच्च न्यायालय** के क्षेत्राधिकार में ही निपटाया जाएगा ।

12 महत्वपूर्ण तिथियां

क्र. सं.	गतिविधि	तिथि
1	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन का ऑन-लाइन पंजीकरण शुरू करने की तिथि	**12.11.2024 (11.00 बजे से)**
2	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन का ऑन-लाइन पंजीकरण तथा आवेदन के सबमिशन की अंतिम तिथि	**11.12.2024 (18.00 बजे तक)**

13. महत्वपूर्ण अनुदेश

13.1 अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें (लागू अनुसार) और ऑनलाइन आवेदन को उसके प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले अग्रिम रूप से प्रस्तुत करें ताकि इंटरनेट पर हैवी लोड या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने के दौरान डिसकनेक्शन/ अक्षमता/ विफलता की संभावना से बचा जा सके ।

13.2 गेल (इंडिया) लिमिटेढ एतद्द्वारा आम जनता को सतर्क करता है कि वे संदिग्ध एजेंसियों/ संगठनों/ व्यक्तियों/लोगों के बहकावे में न आएं जिनका उद्देश्य मासूम लोगों से पैसा हड़पना होता है। इसके अलावा, ई-मेल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से परिचालित गेल (इंडिया) लिमिटेड के किसी भी विज्ञापन/ नौकरी की घोषणा पर विश्वास न करें । कृपया गेल (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित किसी भी नौकरी/ करियर संबंधी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://gailonline.com पर अपलोड की गई जानकारी पर ही विश्वास करें ।

इस विज्ञापन के हिन्दी रुपांतरण में निहित किसी भी शर्त की किसी व्याख्या के संबंध में कोई संदेह/अस्पष्टता होने की स्थिति में विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

विज्ञापन सं.: गेल/ओपन/मिस./4/2024